

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1020
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025
सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

आन्ध्र प्रदेश में कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन

1020. डॉ. बायरेड्टी शबरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश में पृथक रूप से अथवा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कितनी विभिन्न कौशल विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और प्रत्येक योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) उक्त राज्य में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं और कार्यशील केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक केन्द्र में किस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(घ) उक्त राज्य में प्रत्येक कौशल विकास योजना हेतु जिलावार और वर्षवार कुल कितनी निधि आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई है;

(ङ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत वर्षवार कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और कितने लोगों को नियोजित किया गया तथा उक्त लक्ष्यों को पूरा करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा; और

(च) प्रत्येक योजना के अंतर्गत लिंग, आयु और ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है और रोजगार के क्या परिणाम (नियोजन दरों सहित) प्राप्त हुए?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलान्वयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से युक्त करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षा मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलान्वयन और पुनर्कौशल विकास के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और साथ ही युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

इसके अलावा, मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) आदि जैसी योजनाओं के कौशल घटक के कार्यान्वयन में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग कर रहा है।

(ख) एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रों/प्रतिष्ठानों की संख्या का जिले-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिला	पीएमकेवीवाई (4.0)	एनएपीएसएस*	जेएसएस	आईटीआई
1.	अल्लूरी सीतारमा राजू	1	-	0	4
2.	अनकापल्ली	2	77	0	32
3.	अनंतपुर	28	2,547	1	23
4.	अन्नमय्या	5	10	0	14
5.	बापतला	3	38	0	20
6.	चित्तूर	23	2,522	0	17
7.	पूर्वी गोदावरी	16	424	0	13
8.	एलुरु	5	194	0	19
9.	गुंटूर	30	326	0	13
10.	काकीनाडा	4	295	0	14
11.	कोनासीमा	-	62	0	15
12.	कृष्ण	21	694	0	20
13.	कुरनूल	26	91	0	17
14.	नांदयाल	4	18	0	21
15.	एनटीआर	1	618	1	11
16.	पालनाडू	3	15	0	19
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	1	7	0	7
18.	प्रकाशम	22	86	1	39
19.	एसपीएसआर नेल्लोर	31	281	0	23
20.	श्री सत्य साई	5	1,365	0	15
21.	श्रीकाकुलम	19	391	0	23
22.	तिरुपति	5	1,701	1	27
23.	विशाखापत्तनम	42	2,064	1	33
24.	विजयनगरम	27	136	1	28
25.	पश्चिम गोदावरी	20	175	0	18
26.	वाईएसआर कडपा	24	923	0	34

*औद्योगिक प्रतिष्ठान

(ग): पीएमकेवीवाई, एनएपीएस, जेएसएस और सीटीएस के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/जॉब की संख्या निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	सीटीएस
700 से अधिक जॉब रोलस	28 जॉब रोलस	266 निर्दिष्ट ट्रेड, और 750+ वैकल्पिक ट्रेड	168 ट्रेड्स

किसी भी केंद्र पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम/जॉब रोल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होती है।

(घ): पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस जैसी योजनाओं के अंतर्गत जिलों को सीधे तौर पर निधि जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए प्रति माह तक का वृत्तिका सहायता जारी की जाती है। आईटीआई के संबंध में दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

(ड) और (च): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती है। यद्यपि, आंध्र प्रदेश राज्य में जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का जर्नेदार-वार विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम	योग	पुरुष	महिला
पीएमकेवीवाई (प्रारंभन से दिनांक 31.12.2024 तक)	5,21,022	2,91,108	2,29,903
जेएसएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से वित्त-वर्ष 2023-24 तक)	62,843	8,885	53,958
एनएपीएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2024 तक)	77,397	61,681	15,716
सीटीएस (सत्र 2019-सत्र 2023)	2,49,696	2,39,556	10,140

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में योजना के पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिन्हें वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया था। विगत पांच वर्षों में वर्ष 2021-22 तक पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या 92,678 है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।
